(2)

उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग–2

संख्या 11/3/1991-का०-2-92
लखनऊ, दिनांक 23 जुलाई, 1992

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण) नियमावली, 1992

संक्षिप्त नाम प्रारम्भ और प्रवर्तन

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण) नियमावली, 1992 कही जाएगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

(3) यह संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल की नियम बनाने की शक्ति के अधीन समस्त सिविल सेवाओं और पदों पर प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2–जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में,–

(क) "आयोग" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है;

(ख) "संविधान" का तात्पर्य "भारत का संविधान" से है;

(ग) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(घ) "राज्य" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है।

भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण

3–राज्य के कार्य-कलापों के सम्बन्ध में, किसी सेवा या पद पर भर्ती की अधिकतम आयु को विनियमित करने वाले किसी नियम में, किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, राज्यपाल द्वारा, किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के किसी वर्ग के पक्ष में, अधिकतम आयु सीमा में शिथिलीकरण प्रदान किया जा सकता है :

परन्तु उन मामलों में, जिनमें भर्ती आयोग के माध्यम से की जाती है, शिथिलीकरण प्रदान किए जाने के पूर्व, उस निकाय से परामर्श किया जाएगा।

आज्ञा से,
ओ० पी० आर्य,
सचिव।

संख्या 11/3/1991-कार्मिक-2, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ०प्र०।
2–समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र०।
3–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन।
4–सचिव, लोक सेवा आयोग, उ०प्र० इलाहाबाद।
5–सचिवालय के समस्त अनुभाग।
6–सचिव विधान सभा/विधान परिषद् उ०प्र०।

आज्ञा से,
फतह नारायण प्रधान,
सचिव।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 24 सा० नियुक्ति–2010–(2619)–1, 000 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।